राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर

के समक्ष

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय :– विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर।

द्वारा

विव 2019–20 के लिए

निवेश योजना

के अनुमोदनार्थ

दायर

याचिका

संक्षेपणों की सूची

केविविआ	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
डिस्कॉम	वितरण कम्पनी
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विव	वित्तीय वर्ष
विव 18	वित्तीय वर्ष 2017–18
विव 19	वित्तीय वर्ष 2018–19
विव 20	वित्तीय वर्ष 2019 –20
भास	भारत सरकार
श्रास	राजस्थान सरकार
टाअबसं	आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन
जयपुर डिस्कॉम / जविविनिलि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
केवीए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलो वॉट
किवाघ	किलो वॉट घण्टा
कि.मी.	किलोमीटर
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
ऊविनि	ऊर्जा वित्त निगम
पुत्वविवि एवं सुका	पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
विनियम	राविविआ (टैरिफ के विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014
राविविआ / आयोग	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
रागांग्रावियो	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
दीदउग्राज्योयो	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना
एबीवियो	एकीकृत बिजली विकास योजना
रू.	भारतीय रूपये
मुमंसलिवियो	मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना
फीसुका	फीडर सुधार कार्यक्रम
सस्टेसुका	सब स्टेशन सुधार कार्यक्रम
राराविम / मण्डल	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
अनुज्ञप्तिधारी / यूटिलीटि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	प्रस्तावना	
अ 2:	जयपुर डिस्कॉम की प्रस्तावित वार्षिक योजना (विव 2019–20)	
अ 3:	माननीय आयोग से प्रार्थना	

सारणियों की सूची

सारणी 1:	विव 2019–20 के लिए योजना की रूपरेखा	
सारणी 2:	विव 2019–20 के लिए योजना संसाधनों का जुटाव	
सारणी 3:	विव 2019–20 के लिए उप–प्रसारण तथा वितरण कार्यों के भौतिक लक्ष्य	

अ1. प्रस्तावना

1.1 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के अनुसार डिस्कॉमों को उनकी निवेश योजना याचिका, आयोग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करनी होती है। जयपुर डिस्कॉम, विव 2019–20 के लिए अपनी निवेश योजना माननीय आयोग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती है।

1.2 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने संशोधित विनियम 18 जुलाई ,2006 को जारी किये है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के इन संशोधित विनियम के आधार पर, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने पुर्व के टेरिफ विनियम 2004 व निवेष योजना अनुमोदन विनियम 2006 को संशोधित किया हैं ।

1.3 विव 2019–20 के लिए, निम्नलिखित तत्वों के आधार तथा पूर्वानुमानों को, निम्नलिखित भाग विस्तार से स्पष्ट करते है :

- पूंजीगत व्यय के लिए योजनावार प्रावधान,
- उप–प्रसारण तथा वितरण के लिए प्रावधान,
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए प्रावधान,
- नयी योजनाओं की लागत तथा निधियन

1.4 प्रस्तावित निवेश योजना में विव 2019–20 के लिए राजस्थान सरकार (रा.स.) के आयोजना विभाग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना नियतन 1545.31 करोड़ रू. है।

अ 2. जयपुर डिस्कॉम की प्रस्तावित वार्षिक योजना (2019–20)

प्रस्तावित वार्षिक योजना (विव 2019–20)

2.1 जयपुर डिस्कॉम, जयपुर, विव 2019–20 के लिए 1545.31 करोड़ रू. की वार्षिक योजना प्रस्तावित करती है। तद्नुसार योजना के लिए वित्तीय स्त्रोत भी प्रस्तावित किये गये है। विव 2019–20 के दौरान आयोजित गतिविधियों के अन्तर्गत किये जाने वाले पूंजीगत व्ययों हेतु प्रावधान निम्नानुसार है।

सारणी 1 : विव 2019–20 के लिए प्रस्तावित योजना परिव्यय

योजना का नाम	योजना लागत विव 2019–20 (करोड़ रू.)
उप–प्रसारण एवं वितरण	508.34
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	325.00
आरजीजीवाई	30.00
आरएपीडीआरपी–अ	20.66
आरएपीडीआरपी–ब	5.39
फीडर सुधार कार्यक्रम	50.00
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	383.10
एकीकृत बिजली विकास योजना (एबीवियो)	50.69
सौभाग्य	20.00
स्मार्ट मिटरिंग	152.12
कुल योग	**1545.31**

2.2 वर्ष 2019–20 के भौतिक लक्ष्यों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

सरणी 2 : वर्ष 2019–20 के भौतिक लक्ष्य

क्र.सं.	योजना का नाम	यूनिट	वित्त 2019–20 (करोड़ रू)
1	उप–प्रसारण एवं वितरण		
अ	33 केवी लाईन	कि.मी.	650
ब	33 केवी सब स्टेशन	नम्बर	60
		एमवीए	413.25
स	ग्रामीण घरेलू कनेक्शन	नम्बर	160,000
द	शहरी घरेलू कनेक्शन	नम्बर	40,000
2	ग्रामीण विधुतीकरण		
अ	कृषि पम्पसेट	नम्बर	20,000
3	आरजीजीवाई		
अ	बीपीएल घरेलू कनेक्शन	नम्बर	0

संसाधन (वित्त 2019–20)

2.3 प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना के निधियन के लिये, स्त्रोतों की विस्तृतियां नीचे सारणी में, दी गयी हैं :–

सारणी 3 : वित्त 2017–18 के लिए योजना संसाधनों का जुटाव

क्र. सं.	विशिष्टियां	वित्त 2017–18
1	प्रत्यक्ष	

	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	
	सामान्य ग्रामीण विधुतीकरण के कार्य(नये कनेक्शनो को समिलित करते हुए।	**272.57**
	डी.डी.यु.जी.जे.वाई (12वां प्लान), ऋण	**2.52**
	डी.डी.यु.जी.जे.वाई (12वां प्लान), अनुदान	**27.00**
	डी.डी.यु.जी.जे.वाई (ऋण)	**128.52**
	डी.डी.यु.जी.जे.वाई (अनुदान)	**229.86**
	आर.ए.पी.डी.आर.पी. (भाग अ और ब) (ऋण)	**2.26**
	आर.ए.पी.डी.आर.पी. (भाग अ और ब) (अनुदान)	**23.35**
	आई.पी.डी.एस. (ऋण)	**17.01**
	आई.पी.डी.एस. (अनुदान)	**30.42**
	एसटी & डीडी	**426.33**
	सौभाग्य (ऋण)	**6.71**
	सौभाग्य (अनुदान)	**12**
	फीडर सुधार कार्यक्रम	**41.93**
	एएमआई स्मार्ट मीटरिंग (ऋण)	**115.84**
	एएमआई स्मार्ट मीटरिंग (अनुदान)	**14**
	योग (1)	**1350.31**
2	राज्य सरकार से	
	राज्य सरकार की अशंपुजी	195.00
	योग (2)	195.00
	योग (1 + 2)	1545.31

विव 2019–20 के लिए मदवार समग्र योजना

मद अः उप–प्रसारण तथा वितरण कार्य

2. विद्यमान नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 12वीं योजना में विभिन्न योजनायें चालू व पूर्ण की
4 गयी थी। तद्नुसार तन्त्र में अग्रेतर सुधार तथा सुदृढ़ीकरण की आवश्कता है ताकि तन्त्र हृष्ट–पुष्ट तथा उन्नत हो जाये और परिणामस्वरूप कम संख्या में अवरोधों के साथ उपभोक्ताओं

को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युतापूर्ति करने में समर्थ हो सके। प्रस्तावित योजनायें डिस्कॉम क्षेत्र में सघन विद्युतीकरण के लिए भी लक्षित हैं। प्रस्तावित योजनायें/कार्य, वितरण नेटवर्क का विस्तार सुनिश्चित करेंगी।

2. विव 2019–20 के दौरान आयोजना योजनान्तर्गत 508.34 करोड़ रू. का प्रावधान उप–प्रसारण
5 तथा वितरण तन्त्र सुधार योजना हेतु रखा गया है। यह प्रावधान जयपुर डिस्कॉम के कार्यक्षेत्र में प्र.एवं.वि. हानियों में कमी तथा विद्युतापूर्ति की गुणवत्ता व विश्वसनीयता में सुधार हेतु उप–प्रसारण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए 11 केवी लाइनों के अन्तर्सम्बन्ध तथा न्यूट्रल तार बिछाने के साथ मध्य विस्तार खम्भा (मिड स्पॉन पोल), इसकी अभिज्ञात योजनाओं हेतु सर्विस कनेक्शन दिये जाने आदि के लिए सहचारी लाइनों तथा 33 केवी सब–स्टेशनों के निर्माण के प्रयोजनार्थ है।

2.6 उप–प्रसारण तथा वितरण मद के अन्तर्गत विभिन्न लक्ष्यो को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैं :–

सारणी 4 : विव 2019–20 के लिए उप–प्रसारण तथा वितरण कार्यों के भौतिक लक्ष्य

विशिष्टियां	इकाई	भौतिक लक्ष्य
33/11 केवी सब– स्टेशन	मेवोए	413.25
33/11 केवी सब– स्टेशन	सं.	60
33 केवी लाइनें	किमी	650

2.7 इस मद में पिछले और वर्तमान वर्षो के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित फार्म संख्या 2 और 4 में संलग्न की गयी है।

अभिज्ञान, चयन तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया

2.8 मांग संवृद्धि को पूरा करने के लिए योजनाओं को, नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाने, नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा तन्त्र में सुधार हेतु जरूरत के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है, वृत्तीय

आयोजना विभाग क्षेत्र में शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित निवेश विस्तृत तकनीकी उचित उद्यम के साथ तथा लागत लाभ विश्लेषण के पश्चात् प्रस्ताव, प्रवर्तित करता है। प्रस्तावों को मुख्यावास के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया जाता है। मुख्यावास पर आयोजना वृत्त तकनीकी तथा वित्तीय साध्यता के आधार पर तथा सरकार से वर्ष के लिए उपलब्ध स्वीकृति के अनुसार योजनाओं का चयन करता है। उप–प्रसारण तथा वितरण कार्यों तथा ग्राविकार्यों की सभी योजनायें 10 करोड़ रू. से नीचे हैं तथा उनका कार्यान्वयन, शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक, तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति के बाद किया जाता है।

मद– ब: नये कनेक्शन दिये जाने सहित सामान्य ग्रामीण विद्युतीकरण (ग्रावि) कार्य

2.9 ग्रावि कार्यों के अन्तर्गत योजनायें, विद्युतीकरण, विद्युत कनेक्शन दिये जाने, उप–प्रसारण तथा वितरण तन्त्र का सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्र.एवं.वि. हानियों में कमी, पर लक्षित है।

2.10 विव 2019–20 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु 325.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है।

2.11 इस प्रावधानान्तर्गत लगभग 20,000 की संख्या में कृषि कनेक्शन दिये जायेगे। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं की लम्बित प्रतीक्षा सूची को निपटाने में डिस्कॉम की सहायता करेगा।

2.12 ग्रावि कार्यों के अन्तर्गत निष्पादित की जाने वाली योजनाओं से विचारित लाभों में शामिल है:

- ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतापूर्ति के लिए वितरण नेटवर्क का विस्तारण,
- जलापूर्ति में वृद्धि के उद्देश्य से कुओं का ऊर्जीकरण

2.13 इस मद में पिछले और वर्तमान वर्षो के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित फार्म संख्या 2 और 4 में संलग्न की गयी है।

मद– सः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजवाई, 12वीं योजना)

2.14 30.00 करोड़ रू. का एक मुश्त प्रावधान इस योजनान्तर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु रखा गया है।

2.15 डीडीयूजीजवाई, 12वीं योजना के कार्यों में अभिज्ञात गांवो, ढाणियों को विद्युतीकृत करने तथा गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर को कनेक्शन देने के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन शामिल है।

2.16 योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

2.17 उत्तम गुणवत्ता की विद्युतापूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में लधु उद्योगों, खादी तथा ग्राम उद्योगों के छितराव को समर्थ कर पायेगी। यह आधुनिक स्वास्थ देखभाल, शिक्षा तथा सूचना प्रोद्यौगिकी की प्रयुक्ति के परिदान को भी सुकर करेगी। यह ग्रामीण विकास को त्वरित करने, रोजगार उत्पादन तथा गरीबी उपशमन पर लक्षित है।

2.18 आरजीजीवाई कार्यो के अन्तर्गत निष्पादित योजनाओं से विचारित लाभों में शामिल है :

- गांवों तथा ढाणियों का सघन विद्युतीकरण
- गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर कनेक्शन दिया जाना।

कार्यों की प्राक्कलित लागत

2.19 इस योजना के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु योजना प्रावधान विव 2019–20 के दौरान लगभग 30.00 करोड़ रू. है।

2.20 इस मद में पिछले और वर्तमान वर्षो के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित फार्म संख्या 2 और 4 में संलग्न की गयी है।

मद दः आरएडीपीआरपी

आरएडीपीआरपी कार्य– भाग अ सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षणीय नियन्त्रण व डैटा अवाप्ति (स्काडा)

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण

2.21 योजना कार्यों के अन्तर्गत सूप्रो समर्थ करने वाली गतिविधियां जैसे पर्यवेक्षणीय नियंत्रण तथा डैटा अवाप्ति आदि को उन्नत करने तथा विद्यमान नेटवर्क को सुदृढ़ करने के कार्य शुरू कर दिये गये हैं। फेजिंग के अनुसार पुत्वविविसुका के भाग – अ के अन्तर्गत सूप्रो समर्थ करने वाली गतिविधियों के लिए योजना, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य शुरू हो गया है तथा यह प्रत्याशित हैकि पुत्वविविसुका भाग – अ के अन्तर्गत योजना का निष्पादन शीघ्र पूरा हो जायेगा।

2.22 आरएडीपीआरपी भाग – अ को आगे और दो भागों में विभक्त किया गया है:

- 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सूप्रो तन्त्र की स्थापना
- 4 लारव से अधिक जनसंख्या तथा 350 मियू वार्षिक ऊर्जा निवेश वाले चयनित नगरों में स्केडा की अधिष्ठापना,

2.23 निष्पादन के पश्चात् होने वाले लाभ :

- सतत् हानि कमी के साथ विद्यमान नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण
- यथार्थ आधार लाइन डैटा समर्थ करना
- स्वंतः प्रक्रिया प्राप्त होगी
- सूप्रो का कार्यान्वयन समर्थ होगा।

2.24 प्रमुख कार्य जो हाथ मे लिये गये हैं, डैटा केन्द्रों के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टेवयर की अधिष्ठापना, महाविपदा प्रतिप्राप्ति केन्द्रों के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की अधिष्ठापना, डिस्कॉम के मुख्यावास पर ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना, मीटर डैटा अवाप्ति तन्त्र आदि हेतु मोडेमों की अधिष्ठापना।

कार्यों की प्राक्कलित लागत

2.25 विव 2019–20 के दौरान शुरू किये जाने वाले आरएडीपीआरपी–अ कार्यों की प्राक्कलित लागत 20.66 करोड़ रू. है। योजनाओं का निधियन आरएडीपीआरपी योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से ऊविनि द्वारा होगा।

2.26 इस मद में पिछले और वर्तमान वर्षो के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

माननीय आयोग द्वारा निर्धारित फार्म संख्या 2 और 4 में संलग्न की गयी है।

<u>आरएडीपीआरपी – भाग ब</u>

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण

2.27 आधार लाइन डैटा स्थापना पर केन्द्र बिन्दु के साथ आपूर्ति की विश्वसनीयता बनाये रखने तथा उप– प्रसारण व वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सत एवं वा हानियों में कमी करने की यह भारत सरकार की एक पहल है। इस योजना से 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों के शहर व नगर आवृत होंगे।

2.28 प्रारम्भ में 25 प्रतिशत निधियां भारत सरकार से ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी तथा शेष वित्तीय संस्थाओं से ली जानी है। समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में 15 प्रतिशत से नीचे कमी किये जाने ओर उसे उस स्तर से नीचे बनाये रखने के मापदण्ड पर आधारित, नगर की कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष अनुदान के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है तथा यदि उस नगर की हानियों को 15 प्रतिशत से नीचे लाया जाता है और उसे 5 वर्ष तक बनाये रखा जाता है, तो नगर की कुल परियोजना लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत को अनुदान के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। सतएवंवा हानियों के टीपीआईईए–ईए मै. वोयन्त सोल्यूशन प्रा. लि., गुडगांव, जिसे ऊविनि द्वारा टीपीआईईए–ईए के रूप में नियुक्ति किया गया है, द्वारा सत्यापित किया जायेगा। 30 नगरों की आधार लाइन हानियों को टीपीआईईए–ईए द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है। इस योजना के मुख्य कार्य इस वर्ष में किये जायेगे। विव 2019–20 मे मुख्य कार्यों में जयपुर और कोटा में स्कैडा की स्थापना व विस्तार शामिल होगा।

2.29 विव 2019–20 के दौरान निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की अनुमानित लागत 3.23 करोड़ रू. होगी। कार्य पूरा कर लिय गया है। इस मद में पिछले और वर्तमान वर्षो के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित फार्म संख्या 2 और 4 में संलग्न की गयी है।

मद – ड. : फीडर सुधार कार्यक्रम

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

2.30 फीडर सुधार कार्यक्रम के निष्पादन हेतु 50.00 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं :

1. ढीले तारों को कसना
2. झुके हुये खम्भों को सीधा करना
3. पर्याप्त सतही क्लीयरेन्स प्रदान करने हेतु लम्बे फैलाव में, खम्भों की सन्निविष्टि
4. एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरूस्तीकरण
5. तीन फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरूस्तीकरण
6. अप्रचलित एबी केबिल का प्रतिस्थापन
7. एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की क्षमता संवर्धन
8. एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की अर्थिंग
9. 33/11 केवी सब–स्टेशनों के समीपस्थ गांवों में तीन फेज तन्त्र की स्थापना
10. ढ़ीले एबी केबिल को कसना
11. एम–सील लगाना/बिना सील वाले केबिल बिन्दुओं की मरम्मत
12. इन्श्यूलेटेड कनेक्टरों की स्थापना
13. दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन
14. ट्रान्सफार्मर पठन प्लेटफार्म आदि

2.31 इस मद में पिछले और वर्तमान वर्षो के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित फार्म संख्या 2 और 4 में संलग्न की गयी है।

मद – छः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (दीदउग्राज्योयो)

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

2.32 भारत सरकार ने 3 दिसम्बर 2014 को ''दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'' अनुमोदित की है।

(I) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीय तथा गैर– कृषीय उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की विवेकपूर्ण पुनः स्थापना को सुकर बनाने के लिए कृषीय तथा गैर– कृषीय फीडरों को अलग– अलग करना।

(II) वितरण ट्रान्सफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप–प्रसारण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण व संवर्द्धन

(III) 12 वीं तथा 13 वीं योजनाओं के लिए रागांग्रावियो के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 01.08.2013 के सीसीईए के अनुमोदनानुसार रागांग्रावियो के लिए अनुमोदित परिव्यय को दीदउग्राज्योयो को अग्रेणीत कर ग्रामीण विद्युतीकरण।

2.33 विद्यमान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (रागांग्रावियो) को नयी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है तथा रागांग्रावियो की व्यय न की गयी राशि दीदउग्राज्योयो को अग्रेणीत कर दी जायेगी। सभी डिस्कॉमें योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (ग्राविनि) योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रक अभिकरण होगा।

2.34 विव 2019–20 में इस दीदउग्राज्योयो के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु 383.10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

2.35 इस मद में पिछले और वर्तमान वर्षो के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित फार्म संख्या 2 और 4 में संलग्न की गयी है।

मद – ज एकीकृत बिजली विकास परियोजना (आईपीडीएस)

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

2.36 भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में उप प्रसारण एवं वितरण नेटवर्क और उसके मीटरिंग के अंतराल को पूरित करने के लिए डिस्कॉम/विद्युत विभाग को एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

2.37 योजना में शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित घटक शामिल हैः–

अ. शहरी क्षेत्रों में उप प्रसारण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण तथा सरकारी ईमारतों में नेट मीटरिंग के साथ सोलर पैनल लगाना।

ब. शहरी क्षेत्रों में फीडर/वितरण ट्रांसफार्मर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

स. सीसीईए की मंजूरी दिनांक 21.06.2013 के तहत आरएडीपीआरपी की 12वी एवं 13वीं परियोजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आरएडीपीआरपी के तहत आईपीडीएस द्वारा वितरण तंत्र में सूचना प्रौद्योगिकी लागू करना तथा वितरण तंत्र का सुदृढीकरण करना।

2.38 इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजना केवल शहरी क्षेत्रों (वैद्यानिक कस्बों) के लिए है और इसमे उप प्रसारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढीकरण का कार्य, सरकारी ईमारतों पर नेट मीटरिंग के साथ सोलर पैनल लगाना, फीडर/वितरण ट्रांसफार्मर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी लाना शामिल है। सेंसस 2011 के अनुसार 5000 तक की आबादी वाले वैद्यानिक कस्बों में सूचना प्रौद्योगिकी लागू की जाएगी।

2.39 एकीकृत बिजली वितरण योजना के निष्पादन के लिए 50.69 करोड़ रू. का प्रावधान जयपुर डिस्कॉम द्वारा विव 2019–20 में रखा गया है।

2.40 इस मद में पिछले और वर्तमान वर्षो के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित फार्म संख्या 2 और 4 में संलग्न की गयी है।

मद–झ : सौभाग्य

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

2.41 सितम्बर 2017 में प्रधान मंत्री उदय योजना शुरू की थी। इस स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों (गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे दोनों) और गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये है। ग्राविनि को इसका नोडल एजेन्सी बनाया गया है। स्कीम के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

अ. ग्रामीण क्षेत्रो में सभी अविधुतीक्रत परिवारो को कनेक्शन उपलब्ध करवाना

ब. जहा पर ग्रिड का विस्तार प्रयोज्य नहीं है वहां पर सौर ऊर्जा पर आधारित अलग से विधुत तंत्र को उपलब्ध करवाना ।

स. शहरी क्षेत्रो में सभी बचे हुये अविधुतीक्रत गरीब परिवारों को विधुत कनेक्शन उपलब्ध करवाना। जो शहरी व्यक्ति गरीब नहीं है उन को इस योजना में नहीं रखा गया है।

2.42 वर्ष 20119–20 में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है।

मद–च :– स्मार्ट मीटरिंग

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

2.43 स्मार्ट मीटरिंग इलेक्ट्रोन मीटर के साथ दो प्रकार के संचारो के प्रसारण की तकनीक है जो की सूचना, निरीक्षण में लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिये निम्न प्रकार से उपयोग में आती है।

(अ) क्रियात्मक क्षमता : मीटर रीडिंग, विधुत तंत्र के संधारण और खराब विधुत तंत्र के प्रबन्धन के क्षेत्र में विकसित विश्वसनीयता और कम लागत।

(ब) राजस्व का संरक्षण : मीटरो और वितरण तंत्र से विधुत चोरी के कारण हुये

राजस्व को कम करना

(स) नकदी के प्रवाह में वृद्धि : बीलिंग चक्र को महावार करना

(द) उपभोक्ता सेवा में सुधार : विधुत उपभोग और इसकी लागत पर विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाना और विधुत तंत्र में आयी खराबी के बारे में उपभोक्ता से बेहत्तर संवाद स्थापित करना।

(ध) ऊर्जा क्षमता का संरक्षण : प्रभावी संचार और उपभोक्ताओ को प्रोत्साहन राशि के द्वारा ऊर्जा और इसकी क्षमता में बचत

2.44 वर्ष 2019–20 में जयपुर डिस्कॉम के लिये एएमआई स्मार्ट मीटरिंग के लिये 152.13 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है।

द. माननीय आयोग से प्रार्थना :

क. राविविआ (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के साथ पढ़ी जाने वाली विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये विव 2019–20 की निवेश योजना के चाहे गये अनुमोदन की याचिका को स्वीकार करने के लिए।

ख. प्रकरण की परिस्थितियों के अधीन तथा न्याय हित में, कोई भी अन्य आदेश, जो माननीय आयोग उचित व उपयुक्त समझता है, पारित करने के लिए।

ग. किसी भी त्रुटि/भूल को माफ करने तथा उसे ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए।

घ. समय– समय पर, आवश्यक होने की दशा में इस याचिका में अग्रेतर प्रस्तुतीकरण, परिवर्धन तथा आशोधन करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमत करने के लिए।

अनुलग्नक – ए

विव 2018–19 में भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति (माह सितम्बर, 2018 तक)

विशिष्टियां	इकाइयां	लक्ष्य	उपलब्धि
1) उप–प्रसारण तथा वितरण			
1.1) 33 केवी लाइन	किमी	295.00	328.6
1.2) 33/11 केवी सब–स्टेशन	सं.	35	26.00
1.3) 33/11 केवी सब–स्टेशन (नये + संवर्धन)	एमवीए	239.35	228.95
2) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य			
2.1) कृषि पम्प सैट	सं.	64,370.00	17,275.00
2.2) हरिजन बस्तियां	सं.	0.00	0.00
3) रागांग्राविियो/एआरईपी/मुमंसलिवियो			
3.1) विद्युतीकृत गांव (ग्राविनि सहित)	सं.	0.00	0.00
3.2) बीपीएल (रागांग्राविियो अनुसार)	सं.	_	19636.00

अनुलग्नक –बी

विव 2018–19 की वित्तीय योजना के विरूद्ध खर्चे (माह सितम्बर, 2018 तक)

योजना कार्य	योजना नियतन (करोड़ रू.)	किया गया व्यय (करोड़ रू.)
1) उप– प्रसारण तथा वितरण	370.38	147.73
2) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	1046.01	716.92
3) रागांग्राविियो	137.75	22.74
4) भाग – अ	119.55	0.00
5) भाग – ब	37.55	3.95
6) फीडर सुधार कार्यक्रम	44.70	0.00
7) सब–स्टेशन सुधार कार्यक्रम	0.00	0.00
8) दीदउग्राज्योयो	643.98	246.40
9) आईपीडीएस	302.03	133.06
10) सौभाग्य	90.70	0.00
11) एएमआई/स्मार्ट मीटरिंग का क्रियान्वयन	81.92	0.00
योग	**2,874.57**	**1,270.80**

अनुलग्नक – सी

आर.जी.जी.वी.वाई. और डी.डी.यु.जी.जे.वाई. योजनाओं की वृतवार वित्तीय लक्ष्य

(करोड रू.)

क्रम.सं.	योजना का नाम व जिला	आर.जी.जी.वी. वाई. 2017–18	डी.डी.यु.जी. जे.वाई. 2017–18
1	अलवर	**75.70**	**74.26**
2	बुंदी	**1.52**	**52.85**
3	भरतपुर	**0**	**21.56**

4	बरान	**16.32**	**37.36**
5	धोलपुर	**38.03**	**18.49**
6	दौसा	**0**	**0**
7	जयपुर नगर वृत	**0**	**171.18**
8	जयपुर जिला वृत	**1.04**	**28.37**
9	झालावाड	**3.00**	**19.78**
10	करौली	**0.59**	**16.26**
11	कोटा	**0.32**	**21.95**
12	सवाईमाधोपुर	**25.20**	**22.64**
13	टोक	**1.62**	**28.85**
	योंग	**163.34**	**513.54**

अनुलग्नक – डी

आर.ए.डी.आर.पी. भाग ए के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए वृतवार व्यय

(करोड रू.)

क्रम.सं.	जिला	वृत	योजना/शहर	अनुमानित खर्च. 2016–17
1	अलवर	अलवर	अलवर	0.00
			भिवंडी	
			खैरथल	
2	बारा	बारा	बारा	0.75
3	भरतपुर	भरतपुर	बयाना	

			भरतपुर	
			डीग	
			कामा	1.46
4	बुंदी	बुंदी	बुंदी	0.60
			लाखेरी	
5	दौसा	दौसा	दौसा	2.37
6	धोलपुर	धोलपुर	बारी	
			धोलपुर	3.15
7	जयपुर	जयपुर नगर वृत	जयपुर शहर	0
		जयपुर जिला वृत	चौमू	
			कोटपुतली	0.53
9	झालावाड	झालावाड	भवानी मंडी	
			झालावाड	0.51
			झालरापाटन	
10	करौली	करौली	हिनडोन	
			करौली	4.39
11	कोटा	कोटा	कोटा	3.39
			रामगंजमडी	
12	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	गंगापुरसिटी	9.73
			सवाईमाधोपुर	0.93
13	टोक	टोक	निवाई	1.01
			टोंक	
	योंग			28.82

अनुलग्नक – ई

आर.ए.डी.आर.पी. भाग ब के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए वृतवार व्यय

(करोड रू.)

क्रम.सं.	योजना का नाम व जिला	अनुमानित खर्च. 2017–18
1	टलवर	**0.37**
2	भरतपुर	**2.82**
3	धोलपुर	**0.7**
4	दौसा	**1.1**
5	करौली	**0.92**
6	जयपुर नगर वृत	**0**
7	जयपुर जिला वृत	**0.58**

8	झालावाड	1.37
9	बरान	1.17
10	कोटा	15.46
11	बुंदी	0.89
12	सवाईमाधोपुर	2.12
13	टोक	1.32
	योंग	28.82

अनुलग्नक – एफ

आई.पी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए वृतवार वित्तीय लक्ष्य

(करोड रू.)

क्रम.सं.	योजना का नाम व जिला	अनुमानित खर्च. 2017–18
1	अलवर	12.136
2	भरतपुर	7.316
3	धोलपुर	2.084
4	दौसा	3.06
5	करौली	5.332
6	जयपुर नगर वृत	117.772
7	जयपुर जिला वृत	11.5

8	झालावाड	3.788
9	बरान	5.732
10	कोटा	10.816
11	बुंदी	6.184
12	सवाईमाधोपुर	3.976
13	टोक	7.972
	योंग	197.668

ग्रापंविवियो राजस्थान सरकार से अनुमोदित हो गयी है तथा योजना की मुख्य विशेषतायें निम्नवत् है :–

क. राज्य की प्रत्येक पंचायत के लिए, पंचायत के गांवों को आवृत करते हुये एक स्वतन्त्र 11 केवी फीडर होगा।

ख. भार केन्द्र पर 3 से 4 पंचायतों के समूह के लिए अतिरिक्त 33/11 केवी सब–स्टेशन सृजित किया जायेगा।

ग. 11 केवी फीडर की लम्बाई अधिमानतः 5 किमी से अधिक नहीं है।

ध. पंचायतवार गांवों के सम्भरण हेतु, प्रत्येक 33/11 केवी सब–स्टेशन पर 3 से 4 से अधिक 11 केवी फीडर नहीं होंगे।

ड. 33/11 केवी सब–स्टेशनों की क्षमता इस प्रकार से होगी कि चरम मौसम में 80 प्रतिशत से अधिक भार न आये।

च. प्रत्येक 11 केवी फीडर सम्भवतः 80 एम्पीयर के अधिकतम भार के लिए प्रतिबन्धित होगा।

छ. ग्रामीण क्षेत्रों में 11 केवी ऊपरी लाइनों की चौडाई, आन्तरायिक खम्भे लगाकर कम करने की कोशिश की जायेगी।

ज. भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में धरेलू मांग में संवृद्धि के परिणामस्वरूप 1 फेज तन्त्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 33/11 केवी तक, प्रत्येक 1 फेज ट्रान्सफार्मर के लिए न्यूट्रल तार डाला जायेगा।

झ. ग्रापंविवियो के कार्य प्रगतिरत हैं, तथा उप–प्रसारण वितरण कार्यक्रम मद के अन्तर्गत आवृत्त है।

इस मद के अन्तर्गत विव 2016–17 (माह अक्टुबर, 2016 तक) के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट **अनुलग्नक ''अ'' व ''बी''** में दर्शित है।